

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


सूचना-पत्र

कमांक-----लेखा/2022
C/6256

जबलपुर, 02 दिसम्बर, 2022

रजिस्ट्री के समस्त शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा बचत राशि के जो दावे अपने घोषणापत्र में किये गये हैं, उनके प्रमाण (प्रीमियम रसीदें/ऋण प्रमाण पत्र/अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि दिनांक 01.04.22 से 31.03.23 हेतु जारी हो) दिनांक 31.01.2023 तक अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में प्रस्तुत करें। ऐसी कोई भी बचत राशि जिसका प्रमाण निर्धारित दिनांक 31.01.2023 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता, उस बचत का लाभ संबंधित शासकीय सेवक की आयकर गणना में नहीं दिया जायेगा एवं नियमानुसार आयकर कटौती किया जावेगा।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार


(डी०आर०एस० सिंगरौल)
डिप्टी रजिस्ट्रार (एम०)/डीडीओ